

नगर निगम शिमला

क्रमांक:ननिशि/आयुक्त/2021---

दिनांक:-

नगर निगम शिमला की वर्ष 2021-22 की 12वीं साधारण बैठक Physically व Video Conferencing के माध्यम से (on line and Off line both) दिनांक 27-03-2021 को अपराह्न 1.30 बजे बचत भवन में होगी ।

आयुक्त,

नगर निगम शिमला ।

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. श्रीमती सत्या कौण्डल | मा0 महापौर-सभापति |
| 2. श्री शैलेन्द्र चौहान | मा0 उप-महापौर |
| 3. श्रीमती तनुजा चौधरी | मा0 पार्षद |
| 4. श्री संजीव ठाकुर | मा0 पार्षद |
| 5. श्री सुनील धर | मा0 पार्षद |
| 6. श्रीमती कुसुम सदरेट | मा0 पार्षद |
| 7. श्रीमती शैली शर्मा | मा0 पार्षद |
| 8. श्री विवेक शर्मा | मा0 पार्षद |
| 9. श्री दिवाकर देव शर्मा | मा0 पार्षद |
| 10. श्रीमती किरन बावा | मा0 पार्षद |
| 11. श्री संजय परमार | मा0 पार्षद |
| 12. श्री आनंद कौशल | मा0 पार्षद |
| 13. श्रीमती सिमा नंदा | मा0 पार्षद |
| 14. श्री जगजीत सिंह बग्गा | मा0 पार्षद |
| 15. श्री बिटू कुमार | मा0 पार्षद |
| 16. श्रीमती सुषमा कुठियाला | मा0 पार्षद |
| 17. श्री इन्द्रजीत सिंह | मा0 पार्षद |
| 18. श्रीमती अर्चना धवन | मा0 पार्षद |
| 19. श्रीमती किमी सूद | मा0 पार्षद |
| 20. कुमारी आरती चौहान | मा0 पार्षद |
| 21. श्रीमती कमलेश मैहता | मा0 पार्षद |
| 22. श्रीमती शारदा चौहान | मा0 पार्षद |
| 23. श्रीमती रिटा ठाकुर | मा0 पार्षद |
| 24. श्रीमती मीरा शर्मा | मा0 पार्षद |
| 25. श्री कुलदीप ठाकुर | मा0 पार्षद |
| 26. श्री राकेश कुमार शर्मा | मा0 पार्षद |
| 27. श्री राकेश चौहान | मा0 पार्षद |

कृ0प0उ0

28.	कुमारी विदूषी शर्मा	मा0 पार्षद
29.	श्रीमती रचना भारद्वाज	मा0 पार्षद
30.	श्रीमती रेनु चौहान	मा0 पार्षद
31.	श्रीमती आशा शर्मा	मा0 पार्षद
32.	कुमारो कुसुम लता ठाकुर	मा0 पार्षद
33.	श्री पूरन मल	मा0 पार्षद
34.	श्रीमती बृज सूद	मा0 पार्षद
35.	श्री दीपक शर्मा	मा0 मनोनीत पार्षद
36.	श्री जसविन्द्र सिंह	मा0 मनोनीत पार्षद
37.	श्री लेख राज कौण्डल	मा0 मनोनीत पार्षद
38.	श्री संजीव सूद	मा0 मनोनीत पार्षद
39.	श्री राजेन्द्र चौहान	मा0 मनोनीत पार्षद

पृष्ठांकन संख्या: ननिशि/आयुक्त/2021---
प्रतिलिपि प्रेषित:-

दिनांक:-

1. श्री सुरेश भारद्वाज, मा0 शहरी विकास मन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला को सूचनार्थ ।
2. श्री अनिरुद्ध सिंह, मा0 विधायक, हि0प्र0 राज्य विधान सभा शिमला को सूचनार्थ ।
3. श्री विक्रमादित्य सिंह, मा0 विधायक, हि0प्र0 राज्य विधान सभा शिमला को सूचनार्थ ।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला ।

प्रश्न संख्या: 2(2)55

द्वारा : श्री संजीव सूद, मा0 मनोनीत पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि नगर निगम शिमला द्वारा कितने भवनों को अनसेफ घोषित किया गया है और इनमें से कितने भवनों के बिजली व पानी के कुनैक्शन कटवाये गए हैं? जिन अनसेफ भवनों में आज भी दुकानें/व्यवसाय चल रहा है उन पर क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	इस बारे सूचित किया जाता है कि दिनांक 1.1.2020 से 28.2.2021 तक कुल 27 भवनों को मानव रिहायश (Human Habitation) के लिए नगर निगम की धारा 258(2) व 383 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर असुरक्षित घोषित किया गया है। इनमें से केवल दो भवनों के विद्युत कुनैक्शन काटे गये हैं तथा एक भवन हाउस नं0 13/14 भराड़ी शिमला के कुछ भाग में व्यवसायिक गतिविधि (दुकान) चल रही है तथा भवन को असुरक्षित करने बारे जो नोटिस जारी किये गये थे उनमें से भवन में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा प्राप्त कर लिए गये हैं तथा शेष चसपान कर दिये गये हैं। इस बारे सूचित किया जाता है कि यदि असुरक्षित किये गये भवनों के मालिक जारी किये गये नोटिस में दिये गये निर्देशों को पालना नहीं करते हैं तो नगर निगम अधिनियम 1994 में निहित प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री संजीव ठाकुर, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि कई और मकान भी है जो गिरने वाले है उनके मालिक वहां नहीं रहते हैं और न ही उन भवनों को गिराते हैं जिससे अन्य लोगों को उसका खतरा बना रहता है। शांकली में भी इसी तरह का मामला है। श्रीमती शारदा चौहान, मा0 पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड में भवन को वर्ष 2015 में असुरक्षित घोषित किया गया था परन्तु उसमें भी लोग रहते हैं। इस तरह के मामलों में कार्यवाही होनी चाहिए। श्री सुनील धर, मा0 पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड में भी एक इसी तरह का मामला है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह नगर निगम की ही सम्पत्ति है जिसे 2015 में असुरक्षित घोषित किया गया था लेकिन नगर निगम इसे भी खाली नहीं करवा पा रहा है। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि भवनों को असुरक्षित घोषित करने बारे कमेठी बनी हुई है परन्तु कई मामलों में किरायेदारों व मकान मालिकों के आपस के झगड़े होते हैं और कोर्ट से कई मामलों में स्टे लगा होता है। इस तरह के मामलों में कार्यवाही करनी कठिन होती है। मा0 महापौर सभापति ने वास्तुक योजनाकार को निर्देश दिए कि जो मामले मा0 पार्षदों द्वारा उठाए गए हैं इन मामलों को examine कर आगामी कार्यवाही की जाए।

प्रश्न संख्या: 2(1)58

द्वारा : श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि ढली टनल के साथ जो मैजेस्टिक ग्रांड होटल है उसमें बार व डिस्को खोलने की अनुमति के लिए सम्बन्धित वार्ड पार्षद का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है व क्या बार व डिस्को खोलने के लिए पूरे मापदण्ड अपनाये गये हैं? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	नगर निगम शिमला की सम्पदा शाखा द्वारा मैजेस्टिक ग्रांड होटल ढली टनल के पक्ष में बार व डिस्को खोलने हेतु कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा लाईसेंस जारी नहीं किया गया है। यद्यपि सम्बन्धित होटल का निरीक्षण करने के उपरान्त दस्तावेजों की छानबान कर वांछित जानकारी एकत्रित कर सूचना मा0 पार्षद को उपलब्ध करवा दी जाएगी।

श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड में मेरे NOC के बिना बार व डिस्को खोलने की अनुमति कैसे दी गई है जबकि वहां पर समीप ही मन्दिर, स्कूल व रिहायशी क्षेत्र है। जिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नियमानुसार मन्दिर व स्कूल की दूरी को मध्यनजर नहीं रखा गया है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और यह बार व डिस्को बन्द होना चाहिए। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि बार खोलने के लिए नगर निगम शिमला द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है। इस सम्बन्ध में Excise Department से भी चर्चा की गई उन्होंने ने कहा कि स्थानीय पार्षद के NOC के बिना अनुमति नहीं दी जाती है परन्तु पार्षद द्वारा इस बारे NOC के दिया गया है। मा0 उप-महापौर से इस बारे चर्चा हुई उन्होंने ने कहा कि मैंने इस मामले में NOC दिया था लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यह मेरे वार्ड में नहीं पड़ता है इसे withdraw कर लिया जाएगा।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि Excise Department द्वारा मैजेस्टिक ग्रांड होटल ढली टनल के पक्ष में जो बार व डिस्को खोलने हेतु अनुमति दी गई है उसे रद्द करने व किसी भी वार्ड में बार इत्यादि सम्बन्धित पार्षद की सहमति के बिना न खोलने बारे Excise Department को लिखा जाए।
पार्किंग

प्रश्न संख्या: 2(2)59

द्वारा : श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि लक्कड़ बाजार के पदमदेव कॉम्प्लैक्स में दुकान नं0-2 जिसकी शिकायत मैंने स्वयं भी की है जिसे 12 से 15 वर्ग फुट बाहर निगम के नाले पर बढ़ा दिया गया है आज तक क्यों तोड़ा नहीं गया? क्या निगम को उस व्यक्ति से डर लगता है, जो बार-बार उसे दो महीने से नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है जबकि पूर्व में भी इस व्यक्ति को पूर्व आयुक्त द्वारा जाली हस्ताक्षरों के चलते व निगम की दुकान पर जबरन कब्जे के तहत सलाखों के पीछे भेजा था। पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद द्वारा पूछे गये प्रश्न के सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि दुकान नं0-2, दौलतराम कॉम्प्लैक्स, लक्कड़ बाजार शिमला में किये गये अवैध निर्माण को हटाने बारे नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही करने की प्रक्रीया जारी है।

श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि किस नियम के तहत कार्यवाही करने में देरी हो रही है। कई स्थानों पर तो रात को भी तोड़ा जा रहा है इसे तोड़ने में देरी क्यों की जा रही है? आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि इस मामले में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। जो भी कार्यवाही इस बारे होगा मा0 पार्षद को उस सम्बन्ध में अवगत करवा दिया जाएगा।

प्रश्न संख्या: 2(3)60

द्वारा : श्री राजिन्द्र चौहान, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएँगे कि शहर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो CCTV कैमरे लगाने की परियोजना थी वह कब तक लगेंगे उसमें अभी तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	MD-cum-CEO, SSCL vide office order dated 03-03-2021 has accorded A/A & E/S amounting to Rs. 0.50 Crore to the Police Department for installation of CCTVs on the identified locations. Also, the component of installation of CCTVs and integration of the same with the Integrated Command & Control Centre (ICCC) forms part of the ICCC project under Shimla Smart City Mission. This project is being implemented by Department of IT, GoHP. The RFP document for the same with respect to the services likely to be integrated initially is in advanced stage of finalisation by DIT.

श्री राजिन्द्र चौहान, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि इस कार्य को करवाने में गति क्यों नहीं लाई जा रही है? आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि स्मार्ट सिटी में यह mandatory है कि शहर में एक Incident Command Centre बनेगा। यह सैन्टर सचिवालय के साथ जो नया भवन बन रहा है उसमें बनेगा और शहर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।

प्रश्न संख्या: 2(4)61

द्वारा : श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	<p>In November 2020, I had brought a resolution for easing the process and formalities for getting NOC for water and electricity connections and also to start offline application acceptance for the same. Hon'ble MC House had passed the said proposal with full majority.</p> <p>What action has been taken in the preceding 4 months from the date of passing of proposal?</p>	<p>It is submitted that presently NOCs to install electricity and water connections are being issued on the basis of completion or part completion of building as per HPMC Act,1994 and M.C. Building Bye Laws 1998. Further it is also apprised that as per the Resolution No. 4(4)28 passed by the Hon'ble House NOCs are already being issued on the basis of approved completion plan of building after depositing of requisite charges. As far as on issue of accepting offline application the matter is under consideration.</p>
ख)	<p>When can we expect implementation of the same for benefit of citizens of Shimla?</p>	<p>In this regard, matter shall be taken up with I.T. Department for an early action in the matter.</p>

श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद के प्रश्न काल के दौरान उपस्थित न होने के कारण प्रश्न ड्रॉप किया गया ।

प्रश्न संख्या: 2(5)62

द्वारा : श्रीमती शैली शर्मा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि समरहिल में भगत सिंह जी की प्रतिमा लगनी कब प्रस्तावित हुई थी, उस सन्दर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	समरहिल में सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा माननीय नगर निगम सदन के प्रस्ताव संख्या 4(3)31 दिनांक 19.09.2012 से लगनी प्रस्तावित हुई थी। इस सन्दर्भ में अभी तक की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण अनुपूरक टिप्पणी सहित सूचनार्थ संलग्न है।

श्रीमती शैली शर्मा, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि जो पत्र उपायुक्त शिमला को भेजा गया था क्या उसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है? आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि उपायुक्त महोदय को जो पत्र भेजा गया है उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इस पत्र की छायाप्रति व प्रतिमाओं को लगाने बारे जो guidelines है उसकी प्रति मा0 पार्षद को उपलब्ध करवा दी जाएगी।

प्रश्न संख्या: 2(6)63

द्वारा : श्री राकेश कुमार शर्मा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि नगर निगम शिमला के 34 वार्डों की सीमाएँ सुनिश्चित होने के बावजूद भी एक दूसरे के वार्ड में हस्तक्षेप किया जाता है तथा हस्तक्षेप करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? अगर ऐसा कोई मामला साधारण बैठक में आया है तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	माननीय सदस्य को अवगत करवाया जाता है कि वार्डों की सीमाएँ नगर निगम चुनाव हेतु बने नक्शे पर निर्धारण की जाती है। विकासात्मक कार्यों के लिए नगर निगम एक ही इकाई है तथा नगर निगम शिमला अपने सभी नागरिकों को आवश्यकतानुसार सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्पक है। जहां तक माननीय पार्षद द्वारा उनके वार्ड में हस्तक्षेप किए जाने का विषय है इस बारे में नगर निगम अभिलेख में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री राकेश कुमार शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि इस मामले में वस्तुस्थिति को छुपाया जा रहा है इस मामले की उचित छान-बीन की जाए। आयुक्त ने अधिशाषी अभियन्ता, मार्ग एवं भवन विभाग को निर्देश दिए कि इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर मा0 पार्षद से बात कर ली जाए।

प्रश्न संख्या: 2(7)64

द्वारा : श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि भराड़ी वार्ड में सम्बन्धित वार्ड पार्षद के घर सामने जाली लगवाने के लिए वन विभाग को 3 लाख रू0 दिए गए हैं? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	भराड़ी वार्ड में सम्बन्धित वार्ड पार्षद के घर सामने जाली लगवाने के लिए वन विभाग को 3.00 लाख रू0 नहीं दिए गए हैं। वन मण्डल अधिकारी शिमला शहरी के पत्र संख्या 243 दिनांक 22.05.2019 से आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि माननीय पार्षद श्रीमती तनुजा चौधरी द्वारा पत्र दिनांक 26.04.2019 स request की गई है। कि पवन ठाकुर के घर से लवली हाउस कलस्टन, भराड़ी में interlink chain से fencing की जाये क्योंकि वहाँ पर जंगली जनवरों के घुसने का खतरा रहता है। इस कार्य को करने के लिए वन विभाग द्वारा राशि रू0 1.80 लाख का प्राकलन इस पत्र के साथ नगर निगम शिमला को प्रेषित किया था। आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त इन पैसों को जमा करवाने की स्वीकृति संयुक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 23.10.2019 को दी गई थी, और नगर निगम शिमला द्वारा यह राशि चैक नं0 969230 दिनांक 27.11.19 द्वारा वन मण्डल अधिकारी को पत्र संख्या MCS/XEN/ RB/19-3518 दिनांक 29.11.2019 से प्रेषित की गई है तथा यह कार्य वन विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है।

श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए जाली लगवाने व पार्किंग बनाने पर जनता का पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है? इस प्रकार के कार्यों पर जो फिजूल खर्ची हो रही है उसकी विजिलेंस जांच करवाई जानी चाहिए। मा0 महापौर सभापति ने अधिशाष अभियन्ता, मार्ग एवं भवन विभाग को निर्देश दिए कि इस मामले को check कर लिया जाए।

प्रश्न संख्या: 2(8)65

द्वारा : श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	<p>क्या आयुक्त महोदय बतलाएँगे कि पुलिस लाईन भराड़ी के समीप वर्ष 2008 व वर्ष 2020 में निःशुल्क पार्किंग बनाई गई थी क्या इसके लिए कोई पुनः टैण्डर किया गया है यह कितनी राशि का है और उसका क्या लाभ है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।</p>	<p>पुलिस लाईन भराड़ी के सामने वर्ष 2008 व वर्ष 2020 में निःशुल्क पार्किंग नहीं बनाई गई है। नगर निगम शिमला द्वारा मा0 मनोनीत पार्षद श्री संजीव सूद के कहने पर Robot Machine से सड़क के किनारे मिट्टी को Level किया गया था। यहां यह अवगत करवाया जाता है कि मा0 पार्षद श्रीमती तनुजा चौधरी ने दिनांक 20.06.2019 को इस विभाग में लिख कर दिया था कि पुलिस लाईन भराड़ी के सामने रोड़ साईड पार्किंग का निर्माण किया जाए। मौके का निरीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इस जगह पर पार्किंग का निर्माण करने के लिए राशि रू0 4,71,600/- का प्राकलन बनाया गया जिसमें Retaining wall व Channel Railing लगाने का प्रावधान किया गया तकि इस जगह पर Ground बनाकर इस पार्किंग की auction कर सही ढंग से गाड़ियां खड़ी की जा सकें और नगर निगम शिमला को इससे आय प्राप्त हो सके। प्राकलन की स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.12.2020 को प्रदान की गई। इस कार्य को करने के लिए दिनांक 23.02.2021 को निविदाएँ आमन्त्रित की गई है। सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त मौके पर कार्य करवाया जाएगा ताकि वहां की स्थानीय जनता को गाड़ियां खड़ी करने की सुविधा मिल सकें।</p>

प्रश्न संख्या 2(7)64 के साथ ही इस मामले बारे भी संयुक्त रूप से चर्चा की गई।

प्वार्ट ऑफ ऑर्डर

5(1) श्री आनंद कौशल, मा0 पार्षर ने प्वार्ट ऑफ ऑर्डर का मामला उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान बन्द रहे होटलों के पानी व कूड़े के बिल क्यों मुआफ नहीं हो रहे हैं। पानी के बिलों में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी प्रतिवर्ष न करने बारे भी मामला सरकार को भेजा जाए। आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान भी कूड़ा लोगों के घरों से उठाया गया है। घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए 350 सैहब कर्मचारी कार्यरत हैं कोविड-19 के दौरान इन कर्मचारियों को लगातार वेतन दिया गया। कूड़े के बिलों से ही इन कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। गाड़ियों के माध्यम से कूड़ा भरयाल प्लान्ट पहुंचाया जाता है जिसका खर्चा भी कूड़े के बिलों से ही होता है। सम्पति कर में कोविड-19 के दौरान नियमानुसार छूट दी गई है। इसलिए गारवेज के बिलों में कोई छूट नहीं दी गई है।

आयुक्त,

नगर निगम शिमला।

**MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FINANCE,
CONTRACT AND PLANNING COMMITTEE**

3(1)

Name of Deptt. : General Department

Name of HoD : Additional Commissioner

Regarding transfer of land Municipal Corporation adjoining Police Station Dhalli to Police Department.

The Superintendent of Police Shimla, District Shimla-HP vide letter No. 112661 dated 10.12.2020 has requested for issuing of "No Objection Certificate" from Municipal Corporation Shimla for transfer of land situated at Mohal Dhalli-II, comprising of Khasra No. 1116/1 measuring 1451-61 Sq. Mtrs. to Police Department for construction of New Police Station Building. As per the revenue records provided by the Police Department, the land in question is situated in the ownership of Himachal Pradesh Government & possession is recorded as "कब्जा नगर निगम शिमला मजकूर" and classification of land "जाये सरकार" as per jamabandi for the year 2016-17. The proposed land falls under the area/jurisdiction of Municipal Corporation Shimla.

It is submitted that disposal of the assets of the Municipal Corporation can be done as per the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 under Section 157(a) which reads as under:-

"The Commissioner with the prior approval of the Standing Committee constituted under sub-section (4) of section 40 of the Act may dispose of, by sale, lease or otherwise, any movable or immovable properties belonging to the Corporation, by public auction, except such movable and immovable properties which is to be given on lease or otherwise to the Government Departments, Boards or Corporations for public utility".

Hence, the matter is placed before the Finance, Contract and Planning Committee for consideration and approval of the requisite NOC issued for the purpose in favour of the Superintendent of Police, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.


Commissioner


Additional Commissioner

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(1) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई कि इस मामले में सम्बन्धित पार्षद की सहमति भी ली जाए।

अतः मामला सदन सम्मेलन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

Memorandum for the Consideration of FC&PC Meeting.

3(2)

Name of the Department : Estate Branch

Subject: Regarding recovery of Outstanding Dues of use and occupation charges from Sh. Subhash Chander in respect of official accommodation at Corner House, Sanjauli Shimla.

It is submitted an amount of Rs. 1903231/- was shown to be recovered from Sh. Subash Chander, Executive Engineer (retired) who remained an employee of MC Shimla for the occupation charges of accommodation measuring 77.60 Sq.mtrs at Corner House Sanjauli, Shimla. The amount shown included 11,32937/- as principal amount and Rs.7,58,528/- as interest at the rate of 12% on Principal amount apart from Rs. 4131/- as Electricity charges and Rs. 7635/- as Water Charges. The matter regarding payment of the dues has been pending in the office of Estate Branch for the last many years.

Perusal of the relevant files shows that the matter was also adjudicated in different courts but it could not be settled for one or the other reasons. It is further informed that in the decision dated 28-04-2016 in the matter of Sh. Subash Chander V/s M.C. Shimla while deciding an appeal Under Section 9 of the HP Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 against the order dated 20-11-2013 passed by the Assistant Commissioner MC Shimla in case No. 73-XIII/2004, Divisional Commissioner Shimla Division has observed that

"Since the Orders of Lower Court have been arrived after giving due opportunity to the parties and are based on the material available on record, hence the appellant is not entitled for any relief except interest portion which is not legally valid and chargeable. It is proved that the appellant remained in illegal possession of premises in the occupation and is liable to pay penal rent/use and occupation charges".

Ld. Divisional Commissioner further observed that

" In view of the above the order passed by the Lower Court is modified to the extent that the appellant is liable to pay the arrears of license fee/use and occupation charges only as held by the Lower Court and as such the appeal is dismissed with above modifications in the Lower Court".

In view of the facts of the case and going through the relevant files before proceeding further Sh. Subash Chander on dated

19-02-2021 was asked to present his version of the case on 02-03-2021 Sh. Subash Chander, XEN (Rtd) in the meeting held with Additional Commissioner MC Shimla was apprised of the facts of the case vis-a-viz the orders of the Divisional Commissioner as mentioned above.

Sh. Subash Chander, XEN (Rtd) in letter written to MC Shimla on the same day (02-03-2021) agreed to pay the principal amount (That included the penal use and occupation Charges) i.e. Rs. 11,32,937/ , Electricity Charges Rs. 4131/- and Water Charges Rs. 7635/- as per the orders of worthy Divisional Commissioner, thus, making a total of Rs. 11,44,703/- with a request that the same may be allowed to be paid in installments. In the letter ibid he has further agreed to pay Rs.100000/- Per Month before the first week of the month.

In view of the facts narrated above we may implement the orders of Ld. Divisional Commissioner Shimla and consider the request made by Sh. Subash Chander, XEN (Rtd) for depositing the outstanding dues so that the long pending issue may be got settled .

The matter is thus be placed before the FC&PC for consideration and approval .


Additional Commr.


Superintendent (Estate)

वित्त संचिदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(2) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना के अनुसार दर्शायी गई राशि मु0 रू0 11,44,703/- को 11 बराबर किश्तों में वापिस लेने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस राशि को समयानुसार जमा न करवाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त मद पर निर्णय लिया गया कि इस मामले को administratively review किया जाए ।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC& PC MEETING

3 (3)

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:-

Construction of Steel Car Parking at Chakkar near Jaswal House Ward No.8 Bolleauganj (SH:- P/L C.C. 1:6:12, 1:1 ½:3 and steel work etc.)

It is submitted that at present no facility is available in the Chakkar area to park the vehicles due to which the public, as well as visitors, are facing a lot of inconveniences to park their vehicles in this area. The funds of Rs.12,00,000/- only has also been sanctioned from the Deputy Commissioner, Shimla on 15.02.2021 to construct Car Parking in ward No.8

It is pertinent to mention here that M.C. Shimla is developing a site for the construction of Car parking near Jaswal House in this area under AMRUT and MC Head. M.C. Shimla requires a huge amount to construct the parking at said site. It is, therefore, proposed to utilise the said amount at this site. Accordingly, an estimate amounting to Rs.12,97,000/- only has been framed to construct Steel Parking on a developed site near Jaswal House, Chakkar.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.12,97,000/- only.
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in Girra], e-tendering & two local dallies.
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under funds received from D.C. Shimla and MC Head.


Commissioner,


Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(3) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावेजा पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3 (4)

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:-

Balance work and repair maintenance of Slaughter House Building Krishna Nagar in ward No.13

It is submitted that the Modern Abattoir Building situated at Krishna Nagar requires some balance work as well as repair/ maintenance work urgently. Accordingly, an estimate amounting to Rs.14,13,000/- only has prepared for carrying out said work in the Building by taking the provision of providing and laying cement concrete, Sanitary work, C/O R/wall etc.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.14,13,000/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in Girraj, e-tendering & two local dailies.
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities after ensuring the quality of work.
5. To incur the expenditure under ESCROW Account Modern Abattoir.


Commissioner,


Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(4) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

नगर निगम शिमला की वित्त, संविधा एवं योजना समिति के विचारार्थ ज्ञापन

विभाग का नाम : सामान्य विभाग
विभागाध्यक्ष : अतिरिक्त आयुक्त।

3(5)

No Objection Certificate in connection with taking land on lease from HP Government. - Ammended NOC.

विभाग संघटक, विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी, शिमला ब्रांच नामा ईस्टेट, शिमला से पत्र संख्या:वी.के.एस./एल/20-21/034 दिनांक 08.03.2021 प्राप्त हुआ है जिसमें संस्था द्वारा नगर निगम शिमला से कार्यालय पत्र संख्या न.नि.शि./सयु.आ./3665/ Mu/2019-5045 दिनांक 27.11.2019 से विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी, नामा ईस्टेट शिमला के प्लॉट में खसरा नम्बर 260/1, 275/1 व 793/255/1 कुल रकबा 194.42 वर्ग मीटर भूमि लीज पर लेने बारे जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को संशोधित करते हुए खसरा नम्बर 793/255/1 में रकबा 121.31 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 275/1 में रकबा 53.12 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 260 में रकबा 49.50 वर्ग मीटर कुल रकबा 223.93 वर्ग मीटर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया गया है।

इस सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम, शिमला द्वारा प्रस्ताव संख्या 3(25) दिनांक 31.10.2019 की अनुपालना में विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी, नामा ईस्टेट शिमला के प्लॉट में खसरा नम्बर 260/1, 275/1 व 793/255/1 कुल रकबा 194.42 वर्ग मीटर भूमि लीज लेने बारे नगर निगम शिमला की ओर से कार्यालय पत्र संख्या:न.नि.शि./सयु.आ./3665/Mu/2019-5045 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

अब विभाग संघटक, विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी, शिमला ब्रांच नामा ईस्टेट, शिमला द्वारा नगर निगम शिमला से जारी उक्त सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में खसरा नं. 260/1 के स्थान पर खसरा न. 260 और कुल रकबा 194.42 वर्ग मीटर के स्थान पर 223.93 वर्ग मीटर का संशोधन करके संस्था के प्लॉट में खसरा नम्बर 793/255/1 में रकबा 121.31 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 275/1 में रकबा 53.12 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 260 में रकबा 49.50 वर्ग मीटर कुल रकबा 223.93 वर्ग मीटर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया गया है।

लगातार...पृ/2...

राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 793/255/1, 275/1 व 260 की भूमि की मालिक सरकार हिमाचल प्रदेश व कब्जा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग दर्ज है। नगर निगम, शिमला न भूमि की मालिक है व न ही कब्जाधारी है। यह क्षेत्र नगर निगम की परिधि में आता है।

अतः मामला नगर निगम शिमला की ओर से विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी, शिमला ब्रांच नामा ईस्टेट, शिमला के पक्ष में खसरा नम्बर 793/255/1, 275/1 व 260 कुल रकबा 223.93 वर्ग मीटर भूमि लीज पर लेने बारे इस शर्त के साथ कि "बदि सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को इसमें कोई आपत्ति न हो" संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के विचारार्थ प्रस्तुत है


आयुक्त


अतिरिक्त आयुक्त

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद ने कहा कि गैर सरकारी संस्थानों को भूमि निःशुल्क न दी जाए और इस मामले में अपना विरोध दर्ज करवाया। वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(5) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई और यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त संविदा एवं योजना समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार ही संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3(6)

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- Regarding approval of estimates of high mast lights under "Shimla Smart City Mission"

On the subject cited above, it is submitted that the estimates of high mast lights works have been received by M.C. Shimla from HPSEBL for various wards as per the demand of Hon'ble Councillors of respective wards. The execution of these works is necessary to meet out the basic demand of general public residing in the periphery of M.C. Shimla. Now it has been decided to include these proposals under "Shimla Smart City Mission" so that the estimated costs for these works are deposited with HPSEBL for further execution. The detail of these works is as follows:-

Sr. No.	Name of work	W. No.	Amount (Rs.)
3	Providing and fixing of 1 No. Umbrella High Mast illumination LED Light at Sandal Chowk to Court Road Parking and as per scope of work/specifications in Electrical Section Ghora Chowki	9	1120520
5	Providing and fixing of 1 No. Umbrella High Mast illumination LED Light at Ram Chandra Chowk and as per scope of work/specifications in Electrical Section Chhotta Shimla	17	1123190
6	Providing and fixing of 1 No. Umbrella High Mast illumination LED Light at Lower Khalini Chowk and as per scope of work/specifications in Electrical Section Alu Park Section	33	1097800
		Total	3341510

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and approvals:-

1. Approval of above estimates amounting to Rs.33,41,510/- only
2. To deposit the estimated costs with HPSEBL for further execution of works and install LED lights on new poles through EESL.
3. To incur the expenditure under "Shimla Smart City Mission".


Commissioner,


Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(6) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

**MEMORANDUM FOR CONSIDERATION OF FC&PC HOUSE OF
THE MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA**

3 (7)

Name of the Department : Project Cell

Name of HOD : Additional Commissioner

**Regarding formation of Art and Cultural Heritage Centre at
the top floor of Town Hall of Shimla Corporation Shimla**

As per the decision of the Shimla Municipal Corporation for establishing a City Museum in the top floor of the Town Hall, the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH), which is India's largest NGO for heritage conservation and awareness, having consultative status with UNESCO and that has also signed MoU with the Government of Himachal Pradesh on 29th October 2015, regarding the same (copy enclosed) has approached Shimla Municipal Corporation for rendering assistance in the formation of the City Museum at Town Hall.

In this regards, the said NGO has proposed a two day visit by two experts from INTACH Delhi who after inspection and consultation with the Shimla Municipal Corporation will provide a preliminary report for the formation of the Art and Culture Museum at the top floor of the Town Hall.

Keeping in with the above, Mr. Raaja Bhasin, Convenor, INTACH Shimla has proposed expenditure outline for the two day visit by the two experts from INTACH Delhi amounting to Rs. 87,500/- (Eighty

JN

Seven thousand five hundred only) which includes their traveling, boarding, lodging and preparation of preliminary report.

The proposal is being placed before the FC&PC House for consideration and approval for the visit of INTACH team for inspection and consultation with Shimla Municipal Corporation regarding the creation of the Art and Culture Museum at the top floor of the Town Hall.


Additional Commissioner


EE-cult-Project Director

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(7) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई और यह भी निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र तैयार की जाए।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC& PC MEETING

3(8)

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:-


Construction of Ambulance Road from Prem Cottage to Kasot School (SH:- C/O R/wall at RD 0/128 to 0/153) in ward No.3

An estimate amounting to Rs.21,92,000/- only has been prepared for construction of retaining wall at RD 0/128 to 0/153 on Ambulance road leading from Prem Cottage to Kasot School in ward No.3. At present the condition of existing retaining wall at this point is not good and requires immediate attention. The Hon'ble Councillor and the public of the area are requesting time and again to reconstruct the said retaining wall. It is pertinent to mention here that the existing retaining wall is very old and the condition of R/wall is very bad. So it is proposed to reconstruct the existing R/wall in the larger public interest.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.21,92,000/- only.
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in Girraj, e-tendering & two local dailies.
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under funds received from MC Head.


Commissioner,


Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(8) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC& PC MEETING

3(9)

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:-

Improvement of path by making Ambulance road from Brahmi Devi Building to Foreman House RD 0/0 to 0/140 & Neen Chand House to Sharma Niwas in ward No.7

It is submitted that the Hon'ble Councillor and the public of the Majlath Ward have been requesting time and again to improve the existing path as an Ambulance road from Brahmi Devi Building to Foreman House and Neen Chand House to Sharma Niwas. It will serve for the benefit of about 6000 population which is at present deprived from the said facility. Keeping in view, an estimate amounting to Rs.30,78,000/- only has been prepared for this work.

It is pertinent to mention here that the work is of urgent nature and requires immediate attention. The said area is thickly populated due to which there is urgent need to facilitate the public of area.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.30,78,000/- only.
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in Girraj, e-tendering & two local dailies.
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under funds received from MC Head.


Commissioner,


Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(9) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3(10)

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer


Subject:- Development of park near Oakover in ward No.15 under AMRUT

It is submitted that originally the Detail Project Report (DPR) for this work was prepared for Rs.1,45,38,659/- only and approved by the Superintending Engineer, 4th Circle, HPPWD Shimla. Thereafter the tender of work has been awarded to the lowest contractor Sh. Ajay Hansretta for Rs.1,17,27,172/- only. Said work is in progress and about 70% work has been completed at the site. Due to increase in the quantity of RR masonry as well as some additional items like Steelwork, Boulder Filling, P/F Interlocking paver blocks, and stonework on plain ashlar cyclopean in superstructure which is required to be executed at the site, the awarded amount of said work will be deviated. Accordingly the revised estimate for Rs.1,70,40,563/- only has been prepared to complete this project in all respect under AMRUT Fund/MC Head.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. To accord approval to the revised estimate of Rs.1,70,40,563/- only for the completion of the project as well as approval of deviation from the awarded amount i.e. up to revised amount Rs.1,70,40,563/- only.
2. To accord approval for execution of work through same contractor against the original tender agreement in terms of the time constraint for continuing the work under engaged contractor.
3. To authorise the Executive Engineer, R&B, for making payment to the contractor for work done upto the sanctioned amount.
4. To incur the expenditure from the funds received under "AMRUT / MC Head".


Commissioner,


Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(10) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त मद पर चर्चा के दौरान मा० पार्षद ने कहा कि उक्त मद में यह पार्क वार्ड नं० 15 में दर्शाया गया है जबकि यह पार्क वार्ड नं०-17 में आता है। इस लिए वार्ड नं० 15 के स्थान पर वार्ड नं० 17 अंकित किया जाए।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

नगर निगम शिमला की वित्त संविदा एवं योजना समिति के विचारार्थ ज्ञापन:

3(11)

विभाग का नाम : सामान्य विभाग

विभागाध्यक्ष : अतिरिक्त आयुक्त ।

Regarding exchange of Govt. land with private land of
Smt. Sangeeta Devi, R/O Shiv Nagar, Totu, Distt. Shimla

उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (पी) शिमला से पत्र संख्या: SML-Rev.Exchange(109)/2017-417 दिनांक 27.03.2018 प्राप्त हुआ है जोकि श्रीमती संगीता देवी, शिव नगर, टूट्ट, शिमला को प्रेषित है और प्रतिलिपि नगर निगम शिमला को पृष्ठांकित है तथा नगर निगम शिमला से उक्त मामले में निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0 को इस कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक 26.04.2016 पर अद्यतन स्थिति बारे सूचित करने का आग्रह किया गया है ।

इस सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि श्रीमती संगीता देवी, शिव नगर, टूट्ट, शिमला द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.09.2015 के द्वारा सूचित किया गया था कि अगस्त, 2012 में मौजा मोझल टूट्ट में खसरा नं0 803 व 895 में 0-02-25 हैक्टेयर भूमि पर उनका 3 मंजिला निर्मित मकान धराशायी (Collapse) हो गया था और उनकी उक्त भूमि को मोझल तारादेवी में खसरा नं0 123/1 व 124/1 में स्थित सरकारी भूमि के साथ बदलने बारे मामला राजस्व विभाग के विचाराधीन है जिसके लिए उन्हें नगर निगम शिमला से अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है । प्रार्थी द्वारा इस सन्दर्भ में नगर निगम शिमला से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया गया था । श्रीमती संगीता देवी से प्राप्त उक्त प्रस्तावना नगर निगम, शिमला की साधारण कृत्यकारक समिति की दिनांक 19.01.2016 को सम्पन्न बैठक में प्रस्ताव संख्या 2(1) द्वारा विचारार्थ रखा गया था । साधारण कृत्यकारक समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त इस मामले को झाप करने का निर्णय लिया गया जिस बारे आवेदिका को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.2.2016 द्वारा सूचित किया गया था ।


श्रीमती संगीता देवी द्वारा पुनः अपने पत्र दिनांक 23.02.2016 में अनुरोध किया गया कि मौजा मोझल टूट्ट में खसरा नं0 803 व 895 में उनकी 0-02-25 हैक्टेयर भूमि की वैल्यू मोझल तारादेवी में खसरा नं0 123/1 व 124/1 में स्थित बदली (Exchange) की जानी वाली सरकारी भूमि से अधिक है इसलिए उन्हें उक्त भूमि को सरकारी भूमि से बदलने बारे नगर निगम शिमला की ओर से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए । मामला नगर निगम, शिमला की साधारण कृत्यकारक समिति की दिनांक 19.01.2016 को सम्पन्न बैठक में प्रस्ताव-संख्या 2(1) द्वारा लिए गए निर्णय अनुरूप इस कार्यालय पत्र

लगातार...पृ./2...

भी सूचित किया गया है कि स्थानीय पार्षद की अनुशंसा के अनुसार इस भूमि पर सामुदायिक केंद्र के निर्माण की प्रस्तावना विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के साथ मामला पुनः वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक के सम्मेलन नगर निगम शिमला की ओर से श्रीमती संगीता देवी, शिव नगर, टूट्ट, शिमला के पक्ष में मौजा मोछल टूट्ट में खसरा नं० 803 व 895 में उनकी 0-02-25 हेक्टेयर निजी भूमि को मोछल तारादेवी में खसरा नं० 123/1 व 124/1 में स्थित सरकारी भूमि जिसका कब्जा नगर पंचायत/नगर निगम शिमला के नाम दर्ज है के साथ बदलने बारे अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के विचारार्थ प्रस्तुत है।


आयुक्त


अतिरिक्त आयुक्त

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(11) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर निर्णय लिया गया कि शिव नगर टूट्ट से जिस दूसरे स्थान पर भूमि दी जानी है वह स्थान जिस वार्ड में पड़ता है उस सम्बन्धित वार्ड की वार्ड सभा से NOC लिया जाए, इस मामले से सम्बन्धित राजस्व कगजात को भी Examine कर लिया जाए और प्राकृतिक आपदा के कारण इस मामले विशेष को सरकार को भेजा जाए।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

नगर निगम शिमला की वित्त संविदा और योजना समिति से साधारण बैठक के विचारार्थ ज्ञापन:-

3(12)

चर्चा

1. मा० मझपौर सभापति द्वारा वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक में उपस्थित SJPNL के अति० मझ-प्रबन्धक व सहायक अभियन्ता के साथ रिज पर बने पानी के भण्डारण टैंक की मुरम्मत-बारे चर्चा की गई। मा० मझपौर ने कहा कि रिज पर स्थित पानी के भण्डारण टैंक के 6 चैम्बरों की ही मुरम्मत हुई है जबकि 3 अन्य चैम्बरों की भी मुरम्मत होनी चाहिए थी। विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि रिज पर बने पानी के भण्डारण टैंक के जिन तीन चैम्बरों की मुरम्मत नहीं हुई है उन चैम्बरों की मुरम्मत का SJPNL द्वारा Mechanism बनाया जाए और AMRUT Fund से इसकी मुरम्मत करवाई जाए।
2. श्री विवेक शर्मा, मा० पार्षद ने बैठक में चर्चा के दौरान कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जब रजिस्ट्रियों की जाती है तो उसकी कुछ भी राशि नगर निगम शिमला को नहीं मिलती है। कई मामलों में इन रजिस्ट्रियों को समय पर कर विभाग में भी दर्ज नहीं करवाया जाता है। जिसके कारण नगर निगम को वित्तीय हानि हो रही है। विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में कर निरीक्षकों द्वारा अपने-अपने वार्डों से सम्बन्धित रजिस्ट्रियों की detail तहसीलदार शहरी व तहसीलदार ग्रामीण से प्राप्त करके उसे नगर निगम के कर अभिलेख में दर्ज करके आगामी कार्यवाही करें।


आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त मद पर चर्चा के दौरान आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया गया कि क्रम संख्या 2. पर समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रत्येक माह के अन्त में कर निरीक्षकों द्वारा वार्डों से सम्बन्धित रजिस्ट्रियों की detail तहसीलदार शहरी व तहसीलदार ग्रामीण से स्टाफ की कमी के कारण प्राप्त कर पाना कठिन है और इसकी इतनी आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि नये भूमि/मकान मालिकों द्वारा कर विभाग में इसकी प्रविष्टि बिजली पानी के अनापत्ति प्रमाण लेने हेतु स्वयं ही करवा दी जाती है। विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की क्रम संख्या 1 पर की गई सिफारिश को अनुमोदित किया गया और क्रम संख्या 2 पर निर्णय लिया गया कि Tax Inspectors द्वारा मौका पर जा कर ही regular inspection की जाए।

**MEMORANDUM FOR CONSIDERATION OF GENERAL HOUSE
OF MC SHIMLA**

3(13)

Name of Department : General Department
Name of HoD : Joint Commissioner

Retirement in respect of Smt. Dayawati, Safal Karmachari, Health Deptt., MC Shimla.

Smt. Dayawati w/o Sh. Aml Chand, was appointed on regular basis as Safal Karmachari in the Health Deptt. of MC Shimla on 27.07.1998.

Smt. Dayawati has represented that she is suffering from CA(Gall Bladder) and is under treatment for cancer from the IGMC Shimla. She has further submitted that she would not be able to discharge her duty and accordingly, she has requested that her son may be given appointment on compassionate grounds.

Smt. Dayawati in support of her illness has furnished medical certificate of incapacity from the duly constituted Medical Board in IGMC Shimla on 17.12.2020, the recommendations of the Medical Board reads as under:-

BY
"The Medical Board has examined Smt. Dayawati w/o Sh. Aml Chand on 11.12.2020 at 3:00 PM and the Medical Board is of the opinion that the patient is a known case of Carcinoma Gall Bladder Post Cholecystectomy on adjuvant Chemotherapy with recurrence in the form of subcutaneous module on scar site with obstructive jaundice. In view of poor general condition obstructive jaundice, prognosis has been explained to patient and the attendants. She is not fit to continue work in view of poor general condition and poor prognosis."

As per the provisions contained in Rule-38 of CCS (Pension) Rules, 1972 invalid pension is granted if a Govt. servant is retired from service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him/her for the service. In the

Contd...P/2...

Instant case, Smt. Dayawati, Safal Karamchari has been declared unfit by the Medical Board to continue in service, therefore, she is required to be retired from service with the approval of the General House of the Municipal Corporation Shimla.

In so far as providing employment on compassionate grounds to her son is concerned, It is worthwhile to submit that para 2(d) of the Office Memorandum dated 07.03.2019 issued by the Govt. for providing 'Compassionate Employment' specifically provides that compassionate employment can be granted to the dependents of the Govt. servant retiring on medical grounds under Rule-38 of CCS(Pension) Rules, 1972 provided the employee so retiring has not crossed the age of 45 years. In the instant case Smt. Dayawati has already crossed the age of 57 years, therefore, her son is not entitled for compassionate employment.

Accordingly, the matter is placed before the General Function Committee for its consideration to retire Smt. Dayawati w/o Sh. Ami Chand, Safal Karamchari from service from the date of issue of order.


Commissioner


Additional Commissioner

साधारण कृत्यकारक समिति के उक्त मद संख्या 2(1) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त मद पर विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि नियमानुसार सफाई कर्मचारी श्रीमती दयावती के पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी नहीं मिल सकती है तो सफाई कर्मचारी श्रीमती दयावती की सेवा को continue रखा जाए।

**MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC
MEETING**

3(14)

NAME OF DEPARTMENT - (P&S) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject-

**Light Sound and Multimedia show having WOW effect
at Town Hall, Shimla.**

It is submitted that Tourism Department has proposed Light Sound and Multimedia show having WOW effect at Town Hall, Shimla as per the decision of Govt. The Director, Tourism & Civil Aviation, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9 has informed M.C. Shimla vide letter dated 16.01.2021 that the said work has been assigned to M/S C.S. Direkt, New Delhi and requested M.C. Shimla along with details of Layout plan including sound equipment, light equipment, projection detail, electrical layout etc. for according necessary permission and support mentioned below-

Permissions-

1. Permission for second projector placement.
2. Procurement Permission of installing the lights on Town Hall as per the layout.
3. Permission for digging for audio poles at multiple places as per layout.
4. Procurement permission for Trenching for cables to run from control room to projector, sound & light.
5. Procurement permission for using Genset at site.
6. Permission for covering central arch of Town Hall.
7. Special permission for vehicle movement on Mall road for carrying equipment till Town Hall.
8. Special permission for working 24/7 on site.
9. Special permission for removal of benches in front of Town Hall as it creates hindrance in content.

Support-

1. Window closure/cover.
2. Power supply.
3. Renovation of control room

Further said department informed that as per the decision in the meeting held on 06.11.2020, the windows of Town Hall will be covered by M.C. Sharma.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and decision on following points

1. Approval to accord permission required from Sr. No. 1 to 9 above to Tourism Department for execution of work.
2. Approval to appoint Assistant Engineer. (R&B) as Nodal Officer to provide support, follow up and guidance to Tourism Department in the work.


Addl. Commissioner,


Head of Department

दिल संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(7) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यह मामला चर्चा हेतु सदन सम्मुख लाया जाए और इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग द्वारा सदन में प्रस्तुतिकरण भी दिया जाए।
अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि इस मामले बारे सदन में प्रस्तुतिकरण दिया जाए।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि इस मामले बारे सदन में प्रस्तुतिकरण दिया जाए।

**MEMORANDUM FOR CONSIDERATION OF GENERAL HOUSE OF
MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA**

Name of Department : General Department

Name of HoD : Additional Commissioner

3(15)

**Regarding treating the period of training of
Veterinary Pharmacist as period spent on duty in
respect of Sh. Daulat Ram, Veterinary Pharmacist.**

It is submitted that Sh. Daulat Ram was appointed as Peon in the month of July, 1989 and was deputed with Market Superintendent. Keeping in view of performance in duty, the Market Superintendent vide letter dated 14.06.1990 recommended that the name of Sh. Daulat Ram, Peon may be nominated for training of Veterinary Pharmacist at Training Centre Chamba being possessing minimum qualification of Matric required for the said training course.

It is further submitted that the matter was considered and taken up with the Government for according necessary approval. The nomination of Sh. Daulat Ram, Peon of Municipal Corporation Shimla for training in Veterinary Pharmacist course for the session 1994-1996 at Chamba under Animal Husbandry Department was approved by the then Commissioner-cum-Secretary (Local Self Government), Govt. of Himachal Pradesh vide letter dated 24.12.1994 (**Annexure-A**) with the stipulation that the entire expenditure towards aforesaid training shall be borne by the Municipal Corporation Shimla. Sh. Daulat Ram was sponsored for the training of Veterinary Pharmacist vide this office letter dated 03.01.1995 with the condition that the expenditure on this account shall be borne by him and the entire period of training shall be treated as leave of the kind due and leave without pay. Since,

Contd...P/2...

Sh. Daulat Ram was nominee of the Municipal Corporation Shimla for undergoing training in Veterinary Pharmacist, therefore the period of training was to be treated as on duty.

Sh. Daulat Ram after undergoing training in Veterinary Pharmacist was appointed as Veterinary Pharmacist in the year 2000 and has rendered fruitful services to the Municipal Corporation Shimla. He is going to attain the age of superannuation and will retire from service with effect from 30.04.2021. Now, he has represented that the due to wrong implementation of the approval so conveyed by the Govt. he has been put to immense financial loss as the period of training not covered by any leave has been treated as leave without pay which is not considered as qualifying service. Therefore, he has requested that the entire period of training be regularized by grant of study leave.

It is worthwhile to submit that the training was in the larger interest of the Municipal Corporation Shimla and further Sh. Daulat Ram was sponsored candidate of Municipal Corporation Shimla, therefore, the entire period of training was to be treated as on duty for all intents and purposes in view of the approval so conveyed by the Government vis-a-vis the provisions of Fundamental Rules.

The matter was placed before the General Function Committee of MC Shimla in its meeting held on 18.03.2021 for consideration. The Committee after due consideration has resolved that the matter be got examined from the Accounts Officer and the same may be placed before the General House of the Corporation alongwith his comments.

In this regard, the Hon'ble House is apprised that the matter has already been examined by the Accounts Officer of Municipal Corporation Shimla and he is of the considered view that

the case of Sh. Daulat Ram can be considered within the ambit of FR 9(6)(b) with the approval of the Competent Authority. The Fundamental Rule 9(6) (b) (i) specifically provides that a Government Servant be treated as on duty during the course of training in India.

In this instant case, Sh. Daulat Ram was sponsored candidate for undergoing training of Veterinary Pharmacist with the prior approval of the Government, therefore, his case for treating the period of training as on duty is covered under the Fundamental Rule 9(6) (b)(i) as opined by the Accounts Officer of Municipal Corporation Shimla.

Accordingly, the matter is placed before the General House of the Municipal Corporation Shimla for consideration and approval to treat the entire period of training of Veterinary Pharmacist in respect of Sh. Daulat Ram, Veterinary Pharmacist commencing with effect from 04.01.1995 to 18.07.1996 as on duty for all intents and purposes.


Commissioner


Additional Commissioner

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

1081/1994

31-12-94

173 - In file

संख्या: एल.एल.जी.ए. (1)2/78-III
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्थानीय स्वायत्त प्रशासन विभाग

June 130m
Annr

उपनाम

अनुसूत एवं लखि (स्थानीय स्वायत्त प्रशासन)
हि.प्र. सरकार

समाप्त

अनुसूत

नगर निगम शिमला

विषय

दिनांक: शिमला-2, 24 दिसम्बर, 1994

संबन्ध

वैली कार्यालिस्ट (Vety Pharmacist) के
प्रशिक्षण हेतु एक लॉट का आरक्षण

अनुसूत विषय पर कुने, सचिव (प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: एल.एल.जी.ए. (1)2/383
दिनांक: 19 दिसम्बर, 1994 को संज्ञापूर्ति अलग करते हुए
एक कठने का निर्देश हुआ है कि श्री डॉक्टर राम कर्मचारी
नगर निगम शिमला को पत्र में वर्णनानुसार शर्तों के अंतर्गत
कार्यालिस्ट का प्रशिक्षण दिलाने हेतु एक लॉट आरक्षित
(नैक प्रशिक्षण कोर्स वर्ष 1994-96) काने हेतु सरकार द्वारा
स्वीकारित उदान की गई है।

1/11/94
M.S./EA

अवधीय

अनुसूत लखि (स्था. स्व. प्र.)
हिमाचल प्रदेश सरकार

सं. सं. एल.एल.जी.ए. (1)2/78-III
शिमला-2

उपरोक्त निर्देश, स्थानीय स्वायत्त विभाग, हि.प्र. सरकार
दिनांक: 24-12-94

अनुसूत लखि (स्था. स्व. प्र.)

255-7167
22/11/94

-174-

संख्या: एस्.वा.डी-बी/121-3/83-1
हिमाचल प्रदेश सरकार
पशुपालन विभाग।

प्रेरक:

सचिव, पशुपालन।
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:

✓ आयुक्त एवं सचिव, स्था. रवा. विभाग।
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
दिनांक: शिमला-2, 19 दिसम्बर, 1994

विषय:

वेटीए फार्मासिस्ट के प्रशिक्षण हेतु एक सीट के आरक्षित बारे।
महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपके वर संचयन संख्या: एस्.वा.डी-बी/12/78-11
नियमन सं. 0. 94 के निर्देशों में कार्य करने का भविष्य हुआ है कि सरकार ने वेटीए
फार्मासिस्ट हेतु प्रयोजित प्रशिक्षण नियमावली के पैरा 10 के अन्तर्गत नियमों में टोल
देते हुए श्री दीनत राम जो शिमला नगर निगम में कार्यरत है को निम्नलिखित शर्तों
सहित वेटी फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण दिलाने हेतु एक सीट आरक्षित। ये प्रशिक्षण
कोर्स वर्ष 1994-96 करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है:-

21/12/94
TS (LSC)
22/12/94
S O (LSC)
22/12
S R

1. उपरोक्त मनोनीत अभ्यर्थी के प्रशिक्षण का सारा खर्च नगर निगम शिमला द्वारा पशुपालन विभाग को उठा करना होगा।
2. मनोनीत अभ्यर्थी वेटी फार्मासिस्ट के प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त पशुपालन विभाग में वेटी फार्मासिस्ट के पद के लिए हकदार नहीं होगा और न ही वह सेवा दावा करेगा। उसको वेटी फार्मासिस्ट के पद पर नोकरी देना अथवा न देना नगर निगम का अधिकार होगा।
3. नगर निगम अधिकार में मनोनीत अभ्यर्थी का उदाहरण देकर अथवा न देकर अन्य अभ्यर्थियों को मनोनीत नहीं करेगा।
4. नगर निगम यदि अभ्यर्थी को प्रशिक्षण पूर्ण करने उपरान्त वेटी फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति करता है तो उसका कार्य सर्व शिमला नगर वेटी कोल्लि सेंटर, 1984 जो हिमाचल प्रदेश में लागू है, में प्राधिकृत की गई कार्यप्रणाली की परिधि में ही कार्यरत करनी होगी।
5. यदि उपरोक्त कर्मचारी नगर निगम में चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी है तो उसकी शैक्षणिक योग्यता पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारी की तरह दसवीं पाठ्य का प्रमाण पत्र। केमिस्ट्री एवं जीविक सामान्य विज्ञान में होनी चाहिए जो निदेशक पशुपालन को दिया जाना होगा।

भवदीय,

संयुक्त सचिव, पशुपालन।
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पुनःसंलग्न: यथोपरि।

दिनांक:

पुत्रितियु निदेशक, पशुपालन हिमाचल प्रदेश शिमला-2 को सूचनाय
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त सचिव, पशुपालन।
हिमाचल प्रदेश सरकार।

नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के विचार्य ज्ञापन।

3(16)

विभाग का नाम: सम्पदा शाखा
विभागाध्यक्ष का नाम: अतिरिक्त आयुक्त।

स्मार्ट सिटी के तहत सड़क को चौड़ा करने पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक व प्राथमिक पाठशाला बालूगंज से पशु पड़ाव बालूगंज में स्थानांतरण करने बारे।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आयुक्त नगर निगम की अध्यक्षता में दिनांक 16.01.2021 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय अनुरूप बालूगंज स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक व प्राथमिक पाठशाला के साथ रोड का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त पाठशालाओं को पशु पड़ाव बालूगंज में स्थानांतरित किया जाने बारे सम्बन्धित क्षेत्र के मा0 पार्षद की मौजूदगी में नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

1. निगम स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम शिमला, को निर्देश दिये गये कि छः घर की लाईन पशु बालूगंज में स्थित निगम आवास में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, जोकि अभी निगम में सेवामत है, को स्वास्थ्य विभाग के समरहित या अन्य स्थान पर खाली आवास को आंबटित किया जाये तथा जो कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके हैं उनसे उक्त आवास को तुरन्त खाली करवाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशासी अभियन्ता मार्ग व भवन विभाग को निर्देश दिये गये कि पशु पड़ाव में अवैध रूप से निर्मित ढरों को सीधे तौर पर गिराने की कार्यवाही अगल में लाई जाये तथा उन ढरों में रहने वाले गरीब/विधवा को यदि वे सेवानिवृत कर्मचारी नहीं हैं, जो उन्हें राजीव आवास योजना (RAY) के अन्तर्गत कृष्णा नगर में निर्मित आवासों में नियमानुसार शिफ्ट किया जाये।
3. अधीक्षक सम्पदा नगर निगम शिमला को निर्देश दिये जाते हैं कि पशु पड़ाव के नीचे स्थित वर्कशाप के पट्टयास्क का पट्टा विलेख चैक करके उक्त स्थान को खाली करवाने हेतु नोटिस जारी करें व सम्बन्धित निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के साथ अवैध रूप से बनाये गये ढरों की सूची तैयार करें।
4. अधिशासी अभियन्ता मार्ग एवं भवन विभाग को निर्देश दिये गये कि पड़ाव में स्थित काऊ शैड को तारादेवी में गोयल मोटर के साथ खाली स्थान घर शैड बनाने हेतु तुरन्त कार्यवाही करें ताकि उक्त काऊ शैड को वहां शिफ्ट किया जा सके।
5. अधिशासी अभियन्ता हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग स्कूल भवन का सही नक्शा तैयार कर वास्तुक योजनाकार नगर निगम शिमला को इसे पारित करने हेतु प्रस्तुत करेंगे ताकि स्कूल से सम्बन्धित निर्माण कार्य में विलम्ब न हो।

बालूगंज चौक के आसपास प्रतिदिन जाम लगने के कारण यातायात बाधित रहती है। इसलिए स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक व प्राथमिक पाठशाला को हटाकर सड़क को

बोझ किया जाना है, व पाठशालाओं को बदलना पड़ाव में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत भवन को निर्माण कर स्थानांतरित किया जाना है। यहां वह भी प्रस्तावना की जाती है कि पूर्व में नगर निगम द्वारा निर्मित किने पशु पड़ाव व गऊ उद्यान को हटाकर तरादेवी के समीप स्थानांतरित करने की प्रस्तावना है ताकि पशु पड़ाव को हटाकर स्कूल का निर्माण किया जा सके। इस संदर्भ में यह भी ध्यान में लाया जाता है कि पशु पड़ाव में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के लिए 6 घर की लाईन आवस्य आंबदित किने गवे है उन आवासों एवं अनाधिकृत रूप से बनावे गवे बरये को भी उस स्थान से हटया जाना अपेक्षित है ताकि स्कूल के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

अतः ज्ञापन नगर निगम की सभारण बैठक के समुल विचार्य प्रस्तुत है।

11/

आयुक्त

OM

अतिरिक्त आयुक्त

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्रीमती किरन बावा, माओ पार्षद ने कहा कि पशु पड़ाव 6 घर की लाईन में नगर निगम का एक ही कर्मचारी रह रहा है और वह भी सेवानिवृत्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त वहां पर अन्य लोग जो अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं। परन्तु उन्हें भी बेघर न किया जाए और उन्हें कृष्णानगर में बन रहे आवासों में बसाया जाए।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना को इस आधार पर अनुमोदित किया गया कि स्कूल के भवन Heritage होने बारे मामले को examine किया जाए और पड़ाव में अवैध रूप से रह रहे लोग जो BPL में आते हैं उन्हें कृष्णानगर में बसाने के लिए Examine किया जाए व वहां के सम्बन्धित पार्षद की सहमति भी ली जाए।

**MEMORANDUM FOR CONSIDERATION OF GENERAL HOUSE
OF THE MUNICIPAL CORPORATIONSHIMLA**

Name of the Department : Project Cell

Name of HOD : Additional Commissioner

3(17)

Regarding approval for beautification of walls across MC Area

In reference to this office letter no. MCS/JC/ CHO/19-3841 dated 28-12-2019 regarding beautification of walls across MC Area, Non- Government Organization (NGO) 'The Voice' vide its letter Ref. No. SML-139 dated 17th February 2021 had seeked permission to renovate and paint walls across Shimla for beautification based on Swachh Bharat Mission and awareness towards cleanliness and sanitation.

In this regard, certain following names of the sites were provided by the NGO across the city for painting, namely:

1. Hasan Valley
2. Sanjouli opposite new bus stop
3. Victory Tunnel
4. Chotta Shimla opposite police station
5. Navbhar Chock
6. From Shoghi to Shimla

However, after inspection the site opposite Cecil Hotel was decided to be allotted to the NGO as a sample wall for painting. 'The Voice' NGO has been asked to provide the scope of the work for approval before actual painting is undertaken at the approved site.

The matter is being placed before the Hon'ble House of Shimla Municipal Corporation for deliberation and approval please.


Commissioner


Additional Commissioner

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

"MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION AND APPROVAL OF HON'BLE MC HOUSE MEETING"

3(18)


Name of Department: Shimla Jal Prabandhan Nigam Limited,
Head of Department: - MD-cum-CEO, SJPNL


Subject: - Demolition, dismantling and disposing (e-auction) of existing slow sand filter & structure material at WTP Dhalli, Shimla.

The Shimla Jal Prabandhan Nigam Limited is executing the project for Bulk water Supply to Shimla from River Sutlej. The above cited subject matter has been submitted for demolition, dismantling and disposing of existing slow sand filter and structural material at WTP complex at Dhalli Shimla. The SJPNL has conducted hydraulic modeling of Shimla Water Supply System. When the Bulk Water of LWSS from Sutlej to Shimla would be stored in existing Sanjauli tank, it would overflow. Hence the water of LWSS Giri and LWSS Gumma needs to be stored at Dhalli. Hence a new storage tank is required. The SJPNL has proposed Construction 10.0 MLD capacity RCC Storage Tank in place of existing slow sand filter Beds at Dhalli, as an additional bulk water storage for Shimla city. The Shimla Smart City Mission General Manager (Tech) has accorded A/A & E/S amounting to Rs. 15.00 Crore vide No. SSCL/Tech/2020-2231-35 dated 14.02.2020. The funds amounting to Rs. 7.50 Crore out of Rs.15.00 Crore has been allocated for C/O 7.00 MLD RCC Water Storage Tank along with parking at Hotel Peter Hoff. The balance funds amounting to Rs. 7.50 Crore has been kept for C/O 10.0 MLD RCC Water Storage Tank at Dhalli.

The site for the construction of proposed water storage tank has been decided as the existing old slow sand filtration plant at Dhalli Shimla. Filter units is not required due to reduction in water from the Seog Catchment and is not in use, whereas the filtration is done with the other WTP at the same location. The water Supply scheme from Churat catchment to Dhalli for Shimla town has been constructed during 1914-15. At present the complete filtration units is in the name of forest Deptt. (Himachal Pradesh). (Revenue paper attached as Annexure A) Earlier the existing filtration unit was operated by the Irrigation -cum- Public Health Department (Now Jal Shakti Vibhag). The SJPNL has take over the complete filtrations units after existence/formation of SJPNL in June 2018. This proposed storage tank shall be utilized for C/O storage tank of 10.0 MLD capacity and as a replacement/back up for the Ridge storage tank which has out lived its life. Further to provide clear site for the construction of tank and office building the existing filter units along with the superstructure needs to be dismantled/ demolished and the usable/recoverable material shall be auctioned. An estimate of dismantling and disposal (e-auction) of existing structure is worked out to Rs. 14.01 Lacs. (Copy of estimate attached as attached Annexure B)

In view of the above the matter is put for consideration and approval of the Hon'ble MC House for dismantling and disposal (e-auction) of existing filter unit structure at Dhalli to provide site for construction of 10.0 MLD tank.


Commissioner,
Municipal Corporation Shimla,


Additional General Manager,
BWS, SJPNL, Shimla,


MD cum CEO,
SJPNL, U.S.Club-Shimla.

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्री राकेश कुमार शर्मा, माओ पार्श्वद ने कहा कि यह Filter unit structure at Dhalli heritage है इसे तोड़ा न जाए इसकी मुरम्मत की जाए और माओ पार्श्वद ने इस मामले में अपना विरोध दर्ज करवाया।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर निर्णय लिया गया कि इस मामले में मानदंडों के आधार पर (as per norms) ही कार्यवाही की जाए।



Digitally signed By
Director Land Records
Date: 1/28/2021
3:54:15 PM
Himachal Pradesh

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

रसीद संख्या: 20205338883

जिला: शिमला

कानूनगोष्ठ: सन्जोली

पटवार वृत्त: दली

मोबाइल: कैचमेंट रेसिया

इवन्स नं.: 369

साल: 2014-2015

रकबा ईकाई: हे-आ-से

खेवट नं. (हाल/बाबका) : 2 /2

नाम पत्नी या तरफ मब नाम नम्बरदार : खारज अज बाछ

मुताबला व सरह मुआमला व हब्ल :

नाम मालिक व एहवाल : सरकार हिमाचल प्रदेश

उतनी नं. नाम कारतकार व एहवाल

सालान जो मुजारा अदा करता हे व

तफसील सरह व तादाद

2. दिव

2

कच्चा वन विभाग

21

00-05-52

अगल मीरुजा मीरुदा केर मुमकिन होज खेवट नं.(1)

कच्चा व पचना बभार

नाम पाठ व दीगर नम्बर उसरा भाल

रकबा हर खेत व मिजान मब किस्म

अगली मीरुदक इकाईयो मं

रकबा या पैमाना इकोवत

के किंचत

व तारीका बाछ

1202-10-62
पटवारी
रजवार
रजवीर विख्या (व)

यह नकल 'शिमला(ग्रामीण)' तहसील सर्वे के डाटा से 28/01/2021 03:54 PM समय पर बनाई गई है।

To Verify/validate digitally signed copy, please visit the URL <http://rc.hp.nic.in/rc/revenue> and enter your Receipt No 20205338883.

निकजेट : हिमाचल प्रदेश - शिमला

दिनांक: 28-Jan-2021

पृष्ठ संख्या: 1



Digitally signed By
Director Land Records
Date: 1/28/2021
3:54:40 PM
Himachal Pradesh

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

जिला: शिमला
तहसील: शिमला(ग्रामीण)
मौजाना: कैथमैन्ट रेरिया
रजिस्ट्रार नं.: 369
कानूननगरी: सन्जोली
साल: 2014-2015
रसीद संख्या: 2020538894
पटवार वन: दली
रकबा ईकाई: हे-आ-से

खेट नं. (शाला/साबका) : 2 / 2
नाम पत्नी या तरफ मय नाम नम्बरदार : खारज अज बाछ

मुताबका व शरफ मुआमला व इशब :

नाम मालिक व पहावाल : सरकार हिमाचल प्रदेश

नाम कार्तकार व पहावाल

नाम जो मुजावा अदा करता है व

तफसील शरफ व तादाद

2. खिच

रकबा वन विभाग

2

नाम चाह व दीगर नम्बर कतरी शल
वसावाल आपवाली

रकबा हर खेत व मिजान मय किस्म
अराजी मीट्रिक इकाईयां में

21/2

00-00-80
जंगल मीट्रिकला मीटरदा मीर मुलमिल स्टोर
खीवट नं.(1)

रकबा व पहाता शरफ

खीवट नं.(1)

2021-01-28
संख्या: 2021-01-28
दिनांक: 28-01-2021

यह नकल (शिमला/ग्रामीण) तहसील सर्वर के डाटा से 28/01/2021 03:54 PM समय पर बनाई गई है।
To Verify/validate digitally signed copy, please visit the URL <http://rc.hp.nic.in/rc/revenue> and enter your Receipt No 2020538894.

निकलट : हिमाचल प्रदेश - शिमला

दिनांक: 28-Jan-2021

पृष्ठ संख्या: 1



Digitally signed By
Director Land Records
Date: 1/28/2021
3:56:29 PM

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

रसीद संख्या: 20205338940

पटवार इत: डली
रकबा ईकाई: हे-आ-से

कानूनगोदत: सन्जोली
शाल: 2014-2015

तहसील: शिमला(ग्रामीण)
इवबस्त नं.: 368

जिला: शिमला
मोबाइल: कैचमेंट ऐरिया

खेवट नं. (शाल/साबका) : 2 / 2

नाम पत्नी या तरफ अथ नाम नम-बरदार : खारज अज बाछ

मुताबला व करह मुआमला व इब्ल :

नाम मासिक व एहवाल : सरकार हिमाचल प्रदेश

कतौली न. नाम कारतकार व एहवाल

लगाव जो मुजावर अदा करता है व

तफसील शरह व तादाद

2. रिद

ककजा वत विभाग

21/3

00-00-15

ककजा व पकता बघरह

अंगत मकसुजा मकसुदा नं. मुमकिन बीचालखीवट न.(1)

रकबा हर अंत व लिजाव अथ किस्म हिस्सा वा पैनाला हकीकत
अराजी मीटिक ईकाईयो नं व तरीका बाछ

नाम चाह व हीजर नम्बर अतरा हास
बलापल आबपासी

कीकमत

29-01-2021
Digitally signed by
Director Land Records
Date: 2021.01.29 15:56:29 +0530

यह नकल 'शिमला(ग्रामीण)' तहसील सर्वर के डाटा से 28/01/2021 03:56 PM समय पर बनाई गई है।

To Verify/Validate digitally signed copy, please visit the URL <http://rc.hp.nic.in/rc/revenue> and enter your Receipt No 20205338940.

पृष्ठ संख्या: 1

दिनांक: 28-Jan-2021

निकनेट : हिमाचल प्रदेश - शिमला



Digitally signed By
Director Land Records
Date: 1/28/2021
3:52:34 PM
Director Land Records
Himachal Pradesh

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

रसीद संख्या: 2020538835

जिला: शिमला
तहसील: शिमला(ग्रामीण)
साल: 2014-2015
पटवार नं.: 369
पटवार हत: ठनी
रकबा ईकाई: हे-आ-से

खेद नं. (हाता/साबका) : 2 /2
नाम पत्नी का तरफ मय नाम नम्बरवार : खारज अज भाउ

मुताबला व शरह मुआमला व इरह :

नाम मासिक व एरवान : सरकार हिमाचल प्रदेश

खतीनी नं. नाम कारतकार व एरवान.

सगनन जो मुजरर अवा करता हे व
सकदीन शरह व तावद

2.सिद कब्जा कन विभाग

2

नाम शाह व दीगर नम्बर करारा शान रकबा हर खेत व मिजल मय किसल हिस्सा या माला इकीवल
वसायत आबपाती अरानी मीटिक इकाईयो में व तरीका बाउ कसियत

21/4 00-00-38 रकबा व खुला बरह
अंगल मीपूजा मीपूदा गर मुसकिल स्टोर खेद नं.(1)

29-01-2021

टिप: यह नकल 'शिमला(ग्रामीण)' तहसील सर्वर के डाटा से 28/01/2021 03:52 PM समय पर बनाई गई है।

To Verify/Validate digitally signed copy, please visit the URL <http://rc.hp.nic.in/rc/revenue> and enter your Receipt No 2020538835.

जिल्ला: हिमाचल प्रदेश - शिमला

दिनांक: 28-Jan-2021

पृष्ठ संख्या: 1



Digitally signed By
Director Land Records
Date: 1/28/2021
3:53:45 PM

शेड नं. (हाल/साबका) : 2 /2

नाम पत्नी या तरफ अब नाम नम्बरदार : खारज अज बाछ

मुताबता व शरह मुजामता व इशूद :

नाम मालिक व पशुवाल : सरकार हिमाचल प्रदेश

वर्तमान नं. नाम कारतकार व इशुवाल

शानाम जो मुजारा अवा करता है व

तफसील शरह व तवाब

2 खिज कच्चा वन विभाग

2

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

कामधारीदार: सन्जोली

साल: 2014-2015

इडबस्त नं.: 369

जिला: शिमला
मोहल: कैचमैट ऐरिया

रसीद संख्या: 2020538863

पटवार इत: ढली

रकबा ईकाई: है-आ-से

कीकियात

हस्ताक्षर या पंजामा इकीवत:

एकता हर खेत व मिजान अब किल्ल

अराजी मीटिका इकाईयो में

नाम बाह व दीगर नम्बर डतरा हाल

हसाबल आबपाणी

00-08-56

अवाल मीहुरजा मीहुरा कर मुनकिज हीज

23

कच्चा व पड़ता बवारह

खेवट नं.(1)

28-01-2021

यह नकल शिमला(यामीण) तहसील सचर के डाटा से 28/01/2021 03:53 PM समय पर बनाई गई है।

To Verify/Validate digitally signed copy, please visit the URL <http://rc.hp.nic.in/rc/revenue> and enter your Receipt No 2020538863.

पृष्ठ संख्या: 1

दिनांक: 28-Jan-2021

निकनेट : हिमाचल प्रदेश - शिमला



Digitally signed By
Director Land Records
Date: 1/28/2021
3:55:23 PM
Himachal Pradesh

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

जिला: शिमला तहसील: शिमला(ग्रामीण) कागजातसंख्या: सन्जोली
मौजानं: कंचमन्ट रौरिया इवबन्ट नं.: 369 साल: 2014-2015

रसीद संख्या: 20205338918
पट्टधार इत: ढली
रकबा ईकाई: हे-आ-से

खेवट नं. (हाल/साबका) : 2 / 2
नाम पत्नी या तरफ मय नाम नम्बरदार : खारज अज बाछ

मुताबता व शरह मुतामला व इच्छ :

नाम मालिक व शरहवाल : सरकार हिमाचल प्रदेश
नाम काततकार व शरहवाल

सागम जो मुजारा अदा करता ई व
तफसील शरह व ताबाद

कच्चा वन विभाग

2 मिति

2

नाम बाछ व दीगर नम्बर खसरा हाल रकबा हर खेत व मिजान अथ किस्म हिस्सा या पैमाना इकोचल - कैफियत
वसावत आबपायी अराजो मीट्रिक इकाईयो में व तरीका बाछ

51

00-30-52

अगल मीट्रिक मीटरद्वारा मीटर मुतामिल टंक पानी कच्चा व पकता बगरह खेवट नं.(1)

2-10-01-21
M.A. Bhatia
2020
28-01-2021
2020
28-01-2021

यह नकल शिमला(ग्रामीण) तहसील सर्वे के डाटा से 28/01/2021 03:55 PM समय पर बनाई गई है।

To Verify/Validate digitally signed copy, please visit the URL <http://rc.hp.nic.in/rc/revenue> and enter your Receipt No 20205338916.

निकन्ट : हिमाचल प्रदेश - शिमला:

दिनांक: 28-Jan-2021

पृष्ठ संख्या: 1



SHIMLA JAL PRABHANDAN NIGAM LIMITED

(A jointly owned company of M.C Shimla and Govt. of H.P.)

CIN- U74999HP2018SGC007069

Regd. Office: - US Club, Forest Road, Shimla-171001 (H.P)

Tel no. 0177-2650680

Email ID: sjpnld@gmail.com

Annex - B

Name of work :- Demolition, Dismantling & Disposing (e-Auction) of existing slow sand filter & structure material at WTP Dhalli, Shimla.

Major Head: - This estimate has been framed by Er. Rajesh Kashyap, Additional General Manager, Bulk Water Supply, Production Division. U.S. Club, SJPNL, Shimla for the probable cost Rs. 14,00,130 /-.

History

This estimate amounting to Rs. 14,00,130/- has been framed to cover the cost for Demolition, Dismantling & Disposing (e-Auction) of existing slow sand filter & structure material at WTP Dhalli, Shimla. The site for the construction of proposed water storage tank has been decided near the existing old slow sand filtration plant at Dhalli Shimla, as the same is not required due to reduction in water from the Seog Catchment and is not in use, whereas the filtration is done with the other WTP at the same location. For the construction of the tank, the dismantling of the existing structure & filter plant needs to be done.

Keeping into consideration the above requirement of site, the estimate for scrap/recoverable value of material amounting to Rs. 14,00,130 /- has been framed & submitted for arranging necessary approval from competent authority as early as possible. The amount put to tender for e-Auction shall be the value after subtracting the dismantling cost (i.e. Rs 28,47,974-Rs 14,47,844 = Rs 14,00,130/-)

Estimated cost: - Rs. 14,00,130 /-
Rate: - HP SOR 2020/ Analyzed rates
Method: - Through Contractor.
Time: - One month

Additional General Manager
Bulk Water Supply

**ABSTRACT OF COST
NAME OF WORK:- DEMOLITION, DISMANTLING & DISPOSING (e-AUCTION) OF EXISTING SLOW SAND FILTER & STRUCTURE MATERIAL AT WTP
DHALLI, SHIMLA.**

Sr. No.	DESCRIPTION OF ITEM	UNIT	QTY	RATE (INR)	AMOUNT (INR)
1	Demolishing stone rubble masonry manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge : In cement/lime mortar (HPSOR 2020 Item No. 15.9.2)	Cum	1076.37	1011.75	1089018.0
2	Demolishing of brick masonry in super structure (Above Ground Level)and disposal of unserviceable material within all lead as per direction of Engineer-in-charge (In cement mortar) (HPSOR 2020 Item No. 15.7.4)	Cum	34.41	847.95	29176.0
3	Dismantling steel work in built up sections in angles, tees, flats and channels including all gusset plates, bolts,nuts, cutting rivets, welding etc. Including dismembering and stacking within 50 metres lead. (HPSOR Item No. 15.18)	Kg	73321.86	2.35	172306.0
4	Dismantling wood work in frames, trusses, purlins and rafters up to 10 metres span and 5 metres height including stacking the material within 50 metres lead of sectional area 40 square centimetres and above. (HPSOR 2020 Item No. 15.14.1	Cum	4.23	1896.45	8024.0
5	Taking out ,removal & stacking of material from existing filter bed including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge.				
(i)	PCC Chakkas				
(ii)	Top Layer: Fine Sand (Eff: size 0.20 mm to 0.40 and Uniformly-co-efficient 2.00 to 3.00)	Cum	97.02	174.25	16906.0
(iii)	Second Layer: Coarse sand 3mm - 6mm	Cum	129.36	174.25	22541.0
(iv)	Third Layer: Bajri 6mm to 20 mm	Cum	129.36	174.25	22541.0
(v)	Fourth Layer: Bajri 20 mm to 25 mm	Cum	97.02	203.25	19719.0
(vi)	Bottom Layer: Broken Stone 50mm to 75 mm	Cum	97.02	232.30	22538.0
		Cum	194.04	232.30	45075.0
6 (a)	Taking Scrap Value of Dismantled Steel Work.			(A)	1447844.0
(b)	Taking Value of serviceable material (AS per HPSOR 2020)				
(i)	For Stone Serviceable material @ 60%	Kg	73321.855	22.00	1613081.0
(ii)	Top Layer: Fine Sand (Eff: size 0.20 mm to 0.40 and Uniformly-co-efficient 2.00 to 3.00) @ 60 %	Cum	645.82	1100.00	710402.0
(iii)	Second Layer: Coarse sand 3 mm - 6 mm @ 60 %	Cum	77.62	900.00	69858.0
(iv)	Third Layer: Bajri 6 mm to 20 mm @ 60 %	Cum	77.62	1350.00	104787.0
(v)	Fourth Layer: Bajri 20 mm to 25 mm @ 60 %	Cum	58.21	1350.00	78584.0
(vi)	Bottom Layer: Broken Stone 50 mm to 75 mm @ 60 %	Cum	58.21	1350.00	78584.0
(vii)	Wood (Second Class Deodhar) @ 30 %	Cum	116.42	1000.00	116420.0
		Cum	1.2710	60000.00	76258.0
		GRAND TOTAL (B-A)		(B)	2847974.0
		GRAND TOTAL (B-A)			1400130.0
					₹ 1,400,130

Rupees Fourteen Lakh One Hundred Thirty only/-

Additional General Manager
Bulk Water Supply
SJPNL, Shimla (H.P.)

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION AND APPROVAL OF HON'BLE MC HOUSE MEETING"

3(19)

Name of Department: Project Cell

Head of Department: EE-cum-Project Director

Subject: Selection of an Operator for Operation and Management of Tutikandi Parking-cum-Commercial Complex at Shimla HP under PPP Mode.

With reference to the subject cited above, the Operation and Management work of top 6 floors of Tutikandi Parking-cum-Commercial Complex HP under PPP Mode was awarded to M/s J.S. Trading, Khalini, Shimla on 09-10-2020. After fulfilment of the terms & conditions to the bidding documents and Notice of award, Concession Agreement has been executed between Municipal Corporation Shimla as Concessioneing Authority and M/S J.S. Trading, Khalini, Shimla as Concessionaire on 19-01-2021. As per Concession Agreement Condition Precedent, Concessioneing Authority and Concessionaire have fulfilled their conditions Precedent as laid down under clause 5.2.1 and 5.3. Upon satisfaction of the Conditions Precedent by each party, Certificate of Compliance with Conditions Precedent has been issued on 23-03-2021. Thus, the date on which the right of way to the project facilities (encumbrance free) is provided and certificate of compliance is issued, be considered as effective date for the Project Facility. Since the effective date for project facility, the concessionaire/operator i.e. M/S J.S. Trading, as per Concession Agreement clause 6.1. (Obligation of the Operator) submitted request to seek approvals/ permission for improvement in existing Project facilities as detail below:-

- i Regarding NOC for water and electricity connection Tutikandi. As per Concession agreement Clause 6.1.7 (n) Concessionaire/ Operator has requested for procurement of NOC for water and electricity connection. Permission is being granted subject to the condition that Concessionaire is responsible to bear all expenses /charges rates including penalties for default in payment as laid down in the Concession Agreement 6.1.7 (n).
- ii Regarding permission As per concession agreement Clause 6.1.4 Concessionaire/



- for minor changes and alternations in the existing kitchen area
- Operator has sought permission to make minor changes/ alterations in the kitchen area of Commercial Complex. Permission is being granted subject to condition that no structural changes be made in the building.
- iii Permission to run Bar and Restaurant
- As per concession agreement scheduled A, under existing Project Facilities 2 no.s Restaurants at Top (11th floor) has been provided to the Concessionaire. Concessionaire has also requested for granting permission to run a Bar. NOC/Permission in this matter is being granted subject to the condition that legal license from competent authority be obtained before operating bar activity.
- iv Banquet for parties, Marriages, Kitty Parties, Seminars and get together etc.
- Permission is being granted subject to the condition that Banquet Hall be installed on the 11th floor's outer open space and not in permanent nature. As per Concession Agreement Clause 6.1.7(t) Operator is responsible for all liabilities arising out of Operation and Management of the Project, for making least disruption to the movement / vision on adjoining roads, and minimal inconvenience to the neighbouring facilities.
- v Gymnasium with steam room
- Permission is being granted subject to the condition that Gymnasium with steam room be installed on the 11th floor's inner area of Restaurant/ adjoining Hall. As well concessionaire will have to follow Clause 6.1.7(t) as per Concession Agreement.
- vi Dormitories
- The Concessionaire has already been provided the Right of
- vii Parking of Vehicles as described in RFP
- Way for providing Parking Facilities to vehicles, and Dormitories in 6th floors to 10th floors as per scheduled A (Detail of Project Facilities).
- viii Five Rooms as permitted for banquet.
- As per Concession Agreement Clause 6.1.7 (d) Concessionaire have option to make changes within four walls, and is allowed to convert the existing unfinished hall area on the top floor of

[Handwritten Signature]

the Project Facilities into rooms with toilets (not exceeding 5 in number) after taking prior written permission from the Authority. Therefore permission is being granted to convert the existing Hall of Project Facilities into five No.s Rooms with Toilets subject to the condition that no structural changes will be made.

Therefore, matter is placed before the Hon'ble General House for deliberations and approval. It is being suggested that Hon'ble MC House may authorises the Commissioner MC Shimla to grant the necessary permissions to the Concessionaire in future as per Clauses of Concession Agreement.


Commissioner
Municipal Corporation Shimla


EE-cum-Project Director
Municipal Corporation Shimla

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्री आनंद कौशल, माओ पार्श्व ने कहा कि इसमें Bar and Restaurant न खोला जाए इसमें पार्किंग ही रहने दी जाए।
विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।

MEMORANDUM FOR CONSIDERATION OF GENERAL HOUSE OF MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA

Name of Department : Health Department

Name of HoD : Joint Commissioner

3(20)

Continuation of the services of Safai Karamcharis on outsource basis for further one year w.e.f. 01.04.2021 to 31.03.2022.

In view of the paucity of staff belonging to the category of Safai Karmcharis, the Municipal Corporation Shimla engaged as many as 150 workers on outsource basis through SEHB Society with the prior approval of House of Municipal Corporation Shimla vide Resolution No. 3(22) dated 26.11.2016 to keep the city neat and clean by sweeping Roads/Streets and hill slopes/nallah etc. Initially they were engaged for a period of three months which was extended on quarterly basis till 31.03.2020. Lastly, the period of extension was extended upto 31.03.2021 vide Resolution No. 2(.3) dated 16.04.2020. The extended period is going to expire on 31.03.2021, but the services of these workers are still required for the purpose in question by the Municipal Corporation Shimla. It is also submitted that with the passage of time number of Safai Karamcharis have been retired from service on attaining the age of superannuation resultantly the shortage of Safai Karamchari has increased. Since, the work of cleanliness falls within the definition of essential services and is closely related to the health of general public at large which can not be deferred. In these circumstances the services of 150 workers are required to be retained on outsource basis through SHEB Society for further period of at least one year i.e. w.e.f. 01.04.2021 to 31.03.2022 or till some alternative arrangement are made whichever is earlier.

Accordingly, the matter is placed before the General House of the Municipal Corporation Shimla for continuation of engagement of 150 workers through SEHB Society on outsource basis on the same remuneration as prescribed for further period of one year i.e. w.e.f. 01.04.2021 to 31.03.2022 or till some alternative arrangement are made whichever is earlier.


Additional Commissioner


Corporation Health Officer

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्री बिट्टू कुमार, मा0 पार्षद ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है इस तरह से शहर में सफाई व्यवस्था कैसे होगी। इसलिए कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए। मा0 महापौर सभापति ने आयुक्त को निर्देश दिए कि इस मामले को देख लिया जाए। मा0 पार्षद ने साथ ही यह भी कहा कि मेरे वार्ड में पिछले तीन सालों से एक Ambulance Road बन रहा है जिसका कार्य अभी तक भी पूर्ण नहीं हो रहा है और इसमें बड़े-बड़े गड्डे पड़ गए हैं इसकी मुरम्मत तक नहीं की जा रही है। मा0 महापौर सभापति ने अधिशाषी अभियन्ता, मार्ग एवं भवन विभाग को निर्देश दिए कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जाए।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4(1)39

द्वारा:- श्री बिट्टू कुमार, मा0 पार्षद

प्रस्ताव

प्रस्ताव किया जाता है कि नगर निगम शिमला के क्षेत्र में शिमला जल प्रबन्धन निगम द्वारा लोगों को पानी के बिल जारी किए जा रहे हैं, वह बहुत अधिक हैं। पानी के बिल में 30% सीवरेज सैस जोड़ा जा रहा है जिससे कि बिल और भी अधिक हो जाता है। जबकि पानी व सीवरेज का कुनैक्शन लेते वक्त भी शुल्क लिया जाता है। पानी के बिल अधिक आने व सीवरेज सैस को लेकर जनता में बहुत रोष है।

अतः जनहित में प्रस्ताव किया जाता है कि नगर निगम शिमला के क्षेत्र में पानी के बिलों में सीवरेज सैस को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए ताकि जनता को भारी भरकम बिल से कुछ राहत मिल सके।

हस्ता/-0

बिट्टू कुमार, पार्षद

मामला सदन सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव श्री बिट्टू कुमार, मा0 पार्षद ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्री आनंद कौशल, मा0 पार्षद ने किया। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस आधार पर पारित हुआ कि यह मामला सरकार को भेजा जाए।